2026:AHC:13225-DB

10.11.2025 को सुरक्षित

20.01.2026 को प्रदत्त

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट-सी संख्या - 37803 वर्ष 2022

संजय कुमार पाण्डेय एवं अन्य ...याचिकाकर्तागण

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य ...प्रतिवादीगण

याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता : संतोष कुमार श्रीवास्तव

प्रतिवादियों की ओर से अधिवक्ता : मुख्य स्थायी अधिवक्ता; रवि प्रकाश पाण्डेय

न्यायालय संख्या – 40

माननीय न्यायमूर्ति सरल श्रीवास्तव

माननीय न्यायमूर्ति सुधांशु चौहान

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

Translated version: not for legal use

ए.एफ.आर.

(माननीय न्यायमूर्ति सुधांशु चौहान द्वारा प्रदत्त)

1. याचिकाकर्ताओं की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री संजय श्रीवास्तव, प्रतिवादी संख्या 1 से 3 की ओर से विद्वान स्थायी अधिवक्ता तथा प्रतिवादी संख्या 4 की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री रवि प्रकाश पाण्डेय को सुना गया।

2. याचिकाकर्ताओं की ओर से यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि याचिकाकर्ताओं के पिता श्री लालजी, ग्राम बरईपुर, परगना शिवपुर, जनपद वाराणसी स्थित कुछ जोतों के अभिलेखित भूमिधर थे। श्री लालजी की जोतों का सर्वेक्षण दिनांक 17.08.1977 को किया गया तथा उसके अनुपालन में श्री लालजी द्वारा शहरी भूमि (सीमा एवं विनियमन) अधिनियम, 1976 (जिसे आगे "अधिनियम, 1976" कहा गया है) की धारा 6(1) के अंतर्गत जोतों का विवरण प्रस्तुत किया गया। तत्पश्चात दिनांक 31.07.1980 की एक नोटिस श्री लालजी को तामील की गई, जिसके प्रत्युत्तर में उन्होंने दिनांक 26.08.1980 को अपना उत्तर प्रस्तुत किया। अंततः सक्षम प्राधिकारी, शहरी भूमि सीमा, वाराणसी-प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा वाद संख्या 792/1105/80-81 (राज्य बनाम लालजी पाण्डेय) में अधिनियम, 1976 की धारा 8(4) के अंतर्गत दिनांक 10.12.1980 को पारित आदेश द्वारा श्री लालजी की 14,483.40 वर्ग मीटर भूमि को अधिशेष घोषित किया गया। इसके उपरांत धारा 10(5) के अंतर्गत दिनांक 03.03.1987 को एक नोटिस जारी की गई।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

Translated version. not for legal use

3. यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि अधिनियम, 1976 की धारा 11(7) के अंतर्गत निर्धारित "संदेय धनराशि" की सूचना सहित अधिनियम, 1976 की धारा 11(8) के अंतर्गत एक सूचना दिनांक 07.07.1987 को जारी की गई। याचिकाकर्ताओं का यह विशिष्ट कथन है कि उक्त "संदेय धनराशि" न तो मूल भूमिधर श्री लालजी को और न ही याचिकाकर्ताओं को कभी प्राप्त हुई। श्री लालजी द्वारा अधिनियम, 1976 की धारा 11(8) के अंतर्गत कार्यवाही के विरुद्ध आपत्तियां प्रस्तुत करने हेतु समय की मांग दिनांक 07.07.1987 एवं 12.07.1987 के प्रार्थना पत्रों के माध्यम से की गई थी। इसके पश्चात अधिनियम, 1976 के अंतर्गत आरंभ की गई उक्त कार्यवाही में कोई विशेष प्रगति नहीं हुई।

4. आगे यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि श्री लालजी की मृत्यु के पश्चात, वे जोतें जो तृतीय पक्षों को अंतरित नहीं की गई थीं, उन्हें आदेश दिनांक 22.06.2018 द्वारा याचिकाकर्ताओं के नाम नामांतरित कर दिया गया। याचिकाकर्ताओं ने अपने कथन के समर्थन में फसली वर्ष 1425-1430 की खतौनी प्रस्तुत की है।

5. उक्त परिस्थितियों में यह कहा गया है कि याचिकाकर्ताओं ने प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा ज्ञापन संख्या 111 दिनांक 20.09.2021 के माध्यम से पारित आदेश दिनांक 20.09.2021 से व्यथित होकर वर्तमान रिट याचिका प्रस्तुत की है, जिसकी प्रति रिट याचिका के संलग्नक संख्या 1 के रूप में संलग्न है, जिसके द्वारा वाद संख्या 792/1105/80-81 (राज्य बनाम लालजी पाण्डेय) में पारित आदेश के अनुपालन में 14,483.40 वर्ग मीटर भूमि को मूल भूमिधरों/याचिकाकर्ताओं के नाम विलोपित करते हुए उत्तर प्रदेश राज्य के नाम दर्ज कर दिया गया है।

Translated version: not for legal use

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

6. प्रतिवादी संख्या 1 से 3 ने इसके विपरीत, विवादित विषय से संबंधित तथ्यात्मक पहलुओं का, जहां तक अधिनियम, 1976 के अंतर्गत कार्यवाही का संबंध है, विवाद नहीं किया है। तथापि, यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि सभी कार्यवाहियां, जिनमें सीमा से अधिक रिक्त भूमि का कब्जा ग्रहण करना भी सम्मिलित है, शहरी भूमि (सीमा एवं विनियमन) निरसन अधिनियम, 1999 (जिसे आगे "निरसन अधिनियम, 1999" कहा गया है) के प्रवर्तन से पूर्व पूर्ण कर ली गई थीं। यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि प्रतिवादी संख्या 3 ने पत्र दिनांक 28.03.2000 के माध्यम से वाराणसी विकास प्राधिकरण-प्रतिवादी संख्या 4 से अनुरोध किया था कि श्री लालजी की भूमि सहित 1533 वादों में अधिशेष घोषित भूमि का सीमांकन एवं भौतिक सत्यापन कराया जाए। प्रतिवादी संख्या 4-प्राधिकरण ने प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के तर्कों को अपनाया है।

7. अतः याचिकाकर्ताओं का यह मामला है कि विवादित भूमि का कब्जा प्रतिवादियों द्वारा कभी ग्रहण नहीं किया गया तथा उक्त भूमि का कब्जा आज तक मूल भूमिधर/याचिकाकर्ताओं अथवा उनके अंतरणग्राहियों के पास बना हुआ है। याचिकाकर्ताओं ने अपने कथन के समर्थन में रिट याचिका के साथ खसरा अभिलेख प्रस्तुत किए हैं। दूसरी ओर, प्रतिवादियों का यह मामला है कि अधिनियम, 1976 के अंतर्गत संपूर्ण कार्यवाही, जिसमें अधिशेष भूमि का कब्जा ग्रहण करना भी सम्मिलित है, निरसन अधिनियम, 1999 के प्रवर्तन से पूर्व पूर्ण कर ली गई थी। इस पृष्ठभूमि में, पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत अभिकथनों पर विचार किया जाना आवश्यक है।

8. याचिकाकर्ताओं ने रिट याचिका के पैराग्राफ 20 ? 21 में निम्नलिखित कथन किया है :-

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

Translated version not for legal use

?20. कि यह उल्लेखनीय है कि मूल भूमिधर अथवा उनके विधिक उत्तराधिकारियों/वर्तमान याचिकाकर्ताओं से कभी भी कब्जा नहीं लिया गया। भूमिधर का नाम निरंतर राजस्व अभिलेखों में दर्ज रहा तथा उसके पश्चात मूल भूमिधर लालजी पाण्डेय के विधिक उत्तराधिकारियों का नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज किया गया, जो कि आक्षेपित आदेश दिनांक 20.09.2021 तक अंकित रहा। राज्य सरकार/शहरी भूमि सीमा का नाम कभी भी राजस्व अभिलेखों में दर्ज नहीं किया गया। इसके समर्थन में विवादित गाटा संख्या से संबंधित वर्ष 1426 की खसरा प्रतियां सामूहिक रूप से इस रिट याचिका के संलग्नक संख्या 10 के रूप में संलग्न की जा रही हैं।

21. कि विवादित भूमि पर मूल भूमिधर/याचिकाकर्ताओं/क्रेतागण के निरंतर कब्जे को सिद्ध करने हेतु, याचिकाकर्ता फसली वर्ष 1383, 1384, 1410 एवं 1418 के खसरा अभिलेख अभिलेख पर प्रस्तुत कर रहे हैं। फसली वर्ष 1383, 1384, 1410 एवं 1418 के खसरा अभिलेखों की प्रतियां सामूहिक रूप से इस रिट याचिका के संलग्नक संख्या 11 के रूप में संलग्न की जा रही हैं।

9. इसके प्रत्युत्तर में, प्रतिवादी संख्या 1 से 3 ने अपने प्रति शपथपत्र के पैराग्राफ संख्या 25 में निम्नवत कथन किया है :-

?25. कि रिट याचिका के पैराग्राफ संख्या 19, 20, 21 एवं 22 की विषयवस्तु पूर्ववर्ती पैराग्राफों में वर्णित कारणों के आधार पर स्वीकार नहीं की जाती है।

10. इसके अतिरिक्त, इस संबंध में प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के प्रति शपथपत्र के पैराग्राफ संख्या 12 एवं 19 की विषयवस्तु भी प्रासंगिक है, जो निम्नवत है :-

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

?12. कि यहां यह उल्लेख करना प्रासंगिक है कि शहरी भूमि (सीमा एवं विनियमन) निरसन अधिनियम, 1999 के प्रवर्तन से पूर्व राज्य द्वारा समस्त कार्यवाहियां पूर्ण कर ली गई थीं तथा वाराणसी विकास प्राधिकरण, वाराणसी द्वारा भौतिक सत्यापन एवं सीमांकन के संबंध में समान श्रेणी की अन्य भूमियों के साथ पत्र संख्या 6948 दिनांक 28.03.2000 को वाराणसी विकास प्राधिकरण को प्रेषित किया गया था। पत्र दिनांक 28.03.2000 की प्रति इस शपथपत्र के साथ संलग्न कर संलग्नक-सीए-7 के रूप में अंकित की जा रही है।

19. कि रिट याचिका के पैराग्राफ संख्या 9 की विषयवस्तु, जैसा कि वर्णित है, स्वीकार नहीं की जाती है, अतः उसका खंडन किया जाता है। इसके प्रत्युत्तर में यह निवेदित किया जाता है कि किसी भी याचिकाकर्ता द्वारा अपने पिता की मृत्यु के संबंध में कोई सूचना नहीं दी गई थी तथा अधिनियम की धारा 10(5) के अंतर्गत कब्जे के संबंध में नोटिस दिनांक 03.03.1987 को जारी की गई थी और घोषित अधिशेष भूमि का कब्जा ग्रहण कर लिया गया था।

अतः, प्रतिवादी संख्या 1 से 3 अन्यथा भी विवादित भूमि के कब्जे की तिथि तथा वह किस प्रकार ग्रहण किया गया, इसका विवरण प्रस्तुत करने में असफल रहे हैं। वह कथित तिथि भी प्रति शपथपत्र में उल्लिखित नहीं है, जिस दिन विवादित भूमि का कब्जा वाराणसी विकास प्राधिकरण को हस्तांतरित किया गया था।

11. इसी प्रकार, प्रतिवादी संख्या 4-प्राधिकरण ने अपने प्रति शपथपत्र के पैराग्राफ संख्या 17 में निम्नवत कथन किया है :-

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

Translated version not for legal use

?17. कि रिट याचिका के पैराग्राफ संख्या 20 से 23 की विषयवस्तु, जिस प्रकार वर्णित की गई है, स्वीकार नहीं की जाती है, अतः उसका खंडन किया जाता है तथा इसके प्रत्युत्तर में यह निवेदित किया जाता है कि कुल 14,483.40 वर्ग मीटर क्षेत्रफल की भूमि, जो वर्तमान रिट याचिका का विषय-वस्तु है, अधिनियम, 1976 के प्रावधानों के अंतर्गत पूर्व में ही अधिशेष भूमि घोषित की जा चुकी थी तथा तत्पश्चात उक्त भूमि विधिवत रूप से राजस्व अभिलेखों में राज्य सरकार के नाम दर्ज कर दी गई है और उसका कब्जा उत्तरदाता प्राधिकरण के पास है।

12. इसके अतिरिक्त, याचिकाकर्ताओं ने रिट याचिका के पैराग्राफ संख्या 26 में निम्नवत कथन किया है :-

?26. कि मूल भूमिधर लालजी की मृत्यु के पश्चात राजस्व प्रविष्टियों को संशोधित किया गया तथा फसली वर्ष 1425-1430 की खतौनी से यह स्पष्ट है कि आदेश दिनांक 22.06.2018 के माध्यम से याचिकाकर्ताओं के नाम, स्वर्गीय केदार के पुत्र मूल भूमिधर लालजी के विधिक उत्तराधिकारी/वारिस के रूप में आराजी संख्या 71, 70, 296/2, 299, 336/2, 238/2, 54/2, 246/2 पर दर्ज किए गए। फसली वर्ष 1425-1430 की संबंधित खतौनी की प्रति, जिसमें नामांतरण आदेश दिनांक 22.06.2018 अंकित है, इस रिट याचिका के साथ संलग्न कर संलग्नक संख्या 13 के रूप में अंकित की जा रही है।

13. इसके प्रत्युत्तर में, प्रतिवादी संख्या 1 से 3 ने अपने प्रति शपथपत्र के पैराग्राफ संख्या 27 में निम्नवत कथन किया है :-

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

?27. कि रिट याचिका के पैराग्राफ संख्या 24, 25, 26 एवं 27 की विषयवस्तु, पूर्ववर्ती पैराग्राफों में वर्णित कारणों के आधार पर स्वीकार नहीं की जाती है, अतः उसका खंडन किया जाता है। तथापि, यह भी निवेदित किया जाता है कि याचिकाकर्ताओं के पिता मूल भूमिधर लालजी की मृत्यु के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के कार्यालय को कोई सूचना प्रदान नहीं की गई थी, इस कारण मूल भूमिधर का नाम अभिलेखों में यथावत बना रहा, किन्तु याचिकाकर्ताओं में से किसी का भी नाम कभी राजस्व अभिलेखों में दर्ज नहीं किया गया।

14. इसी प्रकार, प्रतिवादी संख्या 4 ने अपने प्रति शपथपत्र के पैराग्राफ संख्या 19 में निम्नवत कथन किया है :-

?19. कि रिट याचिका के पैराग्राफ संख्या 25, 26 एवं 27 की विषयवस्तु, जिस प्रकार वर्णित की गई है, स्वीकार नहीं की जाती है, अतः उसका खंडन किया जाता है। इसके प्रत्युत्तर में यह निवेदित किया जाता है कि अधिनियम, 1976 के अंतर्गत निर्धारित कार्यवाही पूर्ण होने के पश्चात विवादित भूमि सक्षम प्राधिकारी, शहरी भूमि सीमा, वाराणसी द्वारा वाराणसी विकास प्राधिकरण (वी.डी.ए.), वाराणसी को अंतरित कर दी गई थी।

अतः, प्रतिवादियों की अभिकथनावली अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य के अनुरूप नहीं है, क्योंकि विवादित भूमि आक्षेपित आदेश दिनांक 20.09.2021 के पारित होने से पूर्व राज्य सरकार अथवा वाराणसी विकास प्राधिकरण के नाम में दर्ज नहीं थी, अपितु यह भूमि याचिकाकर्ताओं/उनके अंतरणग्राहियों के नाम में दर्ज थी।

Translated version. not for legal use

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

15. इसके अतिरिक्त, याचिकाकर्ताओं ने विवादित भूमि से संबंधित राजस्व अभिलेख, जिनमें खसरा एवं खतौनी सम्मिलित हैं, जो निरसन अधिनियम, 1999 के प्रवर्तन के पश्चात काफी समय बाद तैयार किए गए हैं, प्रस्तुत किए हैं, जिससे यह प्रदर्शित होता है कि याचिकाकर्ता एवं उनके पूर्ववर्ती/अंतरणग्राही विवादित भूमि के निरंतर कब्जे में बने रहे। वहीं दूसरी ओर, प्रतिवादियों द्वारा दाखिल प्रति शपथपत्रों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि केवल अस्पष्ट कथन ही कथित रूप से कब्जा ग्रहण किए जाने के संबंध में किए गए हैं। उनके प्रत्युत्तरों में यह नहीं बताया गया है कि कब्जा किस प्रकार ग्रहण किया गया तथा कब्जा ग्रहण किए जाने की तिथि क्या थी। इसके अतिरिक्त, मूल भूमिधर/याचिकाकर्ताओं तथा उनके अंतरणग्राहियों के नाम पर राजस्व अभिलेखों में प्रविष्टि बने रहने के संबंध में कोई गंभीर विवाद भी प्रस्तुत नहीं किया गया है।

16. प्रतिवादियों द्वारा यह भी कोई समुचित एवं विश्वसनीय स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया गया है कि निरसन अधिनियम, 1999 के प्रवर्तन के पश्चात लगभग 22 वर्ष की अवधि बीत जाने के बाद ही विवादित भूमि को दिनांक 20.09.2021 के आदेश के माध्यम से राज्य सरकार के नाम पर क्यों दर्ज किया गया तथा उससे पूर्व ऐसा क्यों नहीं किया गया। इसके अतिरिक्त, प्रतिवादियों ने प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा जारी पत्र दिनांक 28.03.2000 पर भी भरोसा किया है, जिसमें केवल विवादित भूमि के भौतिक सत्यापन एवं सीमांकन का उल्लेख है। उक्त पत्र किसी भी दृष्टि से इस बात का प्रमाण नहीं माना जा सकता कि राज्य द्वारा भूमि का वास्तविक (de facto) कब्जा ग्रहण कर लिया गया था, और न ही यह प्रतिवादी संख्या 4-प्राधिकरण के पक्ष में भूमि के कब्जे के हस्तांतरण को प्रदर्शित करता है।

17. अतः, याचिकाकर्ताओं द्वारा अपने पक्ष के समर्थन में प्रस्तुत किए गए राजस्व अभिलेखों के अवलोकन तथा प्रतिवादियों द्वारा अपने-अपने प्रति शपथपत्रों में लिए गए अभिकथन के

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

Translated version not for legal use

परिप्रेक्ष्य में यह निष्कर्ष निकालना कठिन है कि विवादित भूमि का भौतिक कब्जा कभी भी प्रतिवादियों द्वारा ग्रहण किया गया था।

18. वाद के एक अन्य पहलू का संबंध याचिकाकर्ताओं के पूर्ववर्ती श्री लालजी को संदेय धनराशि (प्रतिफल/प्रतिपूर्ति) के भुगतान से है। याचिकाकर्ताओं ने रिट याचिका में विशिष्ट रूप से यह अभिकथन किया है कि उक्त संदेय धनराशि न तो मूल भूमिधर को और न ही याचिकाकर्ताओं को प्राप्त हुई। रिट याचिका के पैराग्राफ संख्या 17 में याचिकाकर्ताओं द्वारा विशेष रूप से निम्नवत कथन किया गया है :-

> ?17. कि शहरी भूमि सीमा अधिनियम के अंतर्गत धारा 11(8) की सूचना दिनांक 07.07.1987 को, धारा 11(7) के अंतर्गत निर्धारित संदेय धनराशि की नोटिस सहित जारी की गई थी। तथापि, उक्त संदेय धनराशि न तो मूल भूमिधर/याचिकाकर्ताओं को प्राप्त हुई। शहरी भूमि सीमा अधिनियम, 1976 की धारा 11(7) एवं 11(8) के अंतर्गत दिनांक 07.07.1987 की नोटिस की प्रति इस रिट याचिका के साथ संलग्न कर संलग्नक संख्या 7 के रूप में अंकित की जा रही है।

19. इसके प्रत्युत्तर में, प्रतिवादी संख्या 1 से 3 ने अपने प्रति शपथपत्र के पैराग्राफ संख्या 24 में यह कथन किया है कि अधिनियम की धारा 11(7) एवं 11(8) के अंतर्गत कार्यवाहियां संपन्न हुई थीं। इन तथ्यों को याचिकाकर्ताओं द्वारा भी विवादित नहीं किया गया है। तथापि, प्रतिवादी संख्या 1 से 3 द्वारा संदेय धनराशि के भुगतान के संबंध में कोई भी अभिकथन नहीं किया गया है। प्रतिवादी संख्या 1 से 3 द्वारा दाखिल प्रति शपथपत्र का पैराग्राफ संख्या 24 निम्नवत है :-

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

Translated version. not for legal use

?24. कि रिट याचिका के पैराग्राफ संख्या 15, 16, 17 एवं 18 के उत्तर में यह कथन किया गया है कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा संबंधित अधिनियम के अंतर्गत की गई सभी कार्यवाहियां पूर्ण कर ली गई थीं तथा उन्हें मूल भूमिधर द्वारा स्वीकार किया गया था और अधिनियम की धारा 11(7) एवं 11(8) के अंतर्गत राशि का निर्धारण किया गया था, जिस पर मूल भूमिधर द्वारा कोई प्रश्न नहीं उठाया गया। आगे यह भी कहा गया है कि श्री लालजी द्वारा सक्षम प्राधिकारी के समक्ष दिनांक 07.07.1987 को समय विस्तार हेतु एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था, किन्तु लंबे समय व्यतीत होने के पश्चात भी याचिकाकर्ताओं के पिता, जो मूल भूमिधर थे, द्वारा कोई आपत्ति या स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया गया।

20. प्रतिवादी संख्या 4 ने रिट याचिका के पैराग्राफ संख्या 17 के प्रत्युत्तर में अपने प्रति शपथपत्र में कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया है तथा यह कथन किया है कि यह विषय सक्षम प्राधिकारी, शहरी भूमि सीमा से संबंधित है। प्रतिवादी संख्या 4 द्वारा दाखिल प्रति शपथपत्र के पैराग्राफ संख्या 15 की विषयवस्तु निम्नवत है :-

?15. कि रिट याचिका के पैराग्राफ संख्या 15, 16, 17 एवं 18 की विषयवस्तु के संबंध में उत्तरदाता प्राधिकारी को कोई टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये पैराग्राफ सक्षम प्राधिकारी, शहरी भूमि सीमा, वाराणसी से संबंधित हैं।

21. इन परिस्थितियों में यह अनुमान लगाना कठिन है कि संदेय धनराशि कभी भी याचिकाकर्ताओं के पिता श्री लालजी अथवा याचिकाकर्ताओं को किसी भी समय पर प्राप्त हुई थी।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

22. यहाँ यह उल्लेख करना प्रासंगिक है कि वर्तमान रिट याचिका में आक्षेपित आदेश सक्षम प्राधिकारी, शहरी भूमि सीमा, वाराणसी द्वारा दिनांक 20.09.2021 को पारित किया गया है। यह तथ्य कि आक्षेपित आदेश दिनांक 20.09.2021 को पारित किया गया है, से यह स्पष्ट रूप से अनुमानित होता है कि अधिनियम, 1976 के अंतर्गत की गई कार्यवाहियों से संबंधित अभिलेख प्रतिवादियों के पास उपलब्ध थे, जिनके आधार पर आक्षेपित आदेश पारित किया गया है। अतः प्रतिवादियों को इस न्यायालय के समक्ष मामले के सही एवं पूर्ण तथ्यों को प्रस्तुत करने में कोई बाधा नहीं थी।

23. जहां तक वर्तमान रिट याचिका में आक्षेपित आदेश दिनांक 20.09.2021 का संबंध है, यद्यपि इसमें सीमा वाद संख्या 792/1105/80-81 का उल्लेख किया गया है, तथापि इसमें उस आदेश की तिथि का उल्लेख नहीं किया गया है, जिसके द्वारा कथित रूप से सक्षम प्राधिकारी-प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा विवादित भूमि को राजस्व अभिलेखों में राज्य के नाम दर्ज किया गया। इसमें केवल यह अस्पष्ट कथन किया गया है कि नामांतरण किसी पूर्व में पारित आदेश के आधार पर किया गया है, जिसे विशेष रूप से "पूर्व प्रेषित नामांतरण आदेश" के रूप में संदर्भित किया गया है?

24. इस संबंध में याचिकाकर्ताओं ने रिट याचिका के पैराग्राफ संख्या 8 में स्पष्ट रूप से यह अभिकथन किया है कि ऐसा कोई नामांतरण आदेश अस्तित्व में नहीं है। रिट याचिका का पैराग्राफ संख्या 8 निम्नवत है :-

?8. कि सक्षम प्राधिकारी, शहरी भूमि सीमा, वाराणसी ने अपने आदेश/ज्ञापन संख्या 111 दिनांक 20.09.2021 में विभिन्न खतौनियों में बार-बार "पूर्व प्रेषित नामांतरण आदेश" शब्द का उल्लेख किया है, किन्तु उस नामांतरण (म्यूटेशन) आदेश की कोई तिथि अथवा ज्ञापन संख्या अंकित नहीं की है। अतः यह स्पष्ट है कि ज्ञापन संख्या

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

Translated version not for legal use

111 दिनांक 20.09.2021 के माध्यम से पारित वर्तमान आदेश एक अस्तित्वहीन नामांतरण आदेश के आधार पर पारित किया गया है। तथापि, प्रतिवादियों को कथित नामांतरण आदेश का पूर्ण विवरण प्रस्तुत करना चाहिए था तथा उसकी प्रति भी अभिलेख पर लानी चाहिए थी, ताकि कथित रूप से 40 वर्षों से अधिक समय के पश्चात पारित दिनांक 20.09.2021 के आदेश में प्रतिवादियों द्वारा की गई अनियमितता, जो कि कथित अस्तित्वहीन "पूर्व प्रेषित नामांतरण आदेश" पर आधारित है, इस माननीय न्यायालय के समक्ष उजागर हो सके।

25. प्रतिवादी संख्या 1 से 3 ने इसके प्रत्युत्तर में अपने प्रति शपथपत्र के पैराग्राफ संख्या 18 में यह कथन किया है कि अधिनियम के अनुसार सभी कार्यवाहियां पूर्ण कर ली गई थीं तथा सक्षम प्राधिकारी के कार्यालय द्वारा नामांतरण आदेश जारी किया गया था, किन्तु उसका अनुपालन नहीं किया जा सका।

26. प्रति शपथपत्र के पैराग्राफ संख्या 18 में किए गए कथन निम्नवत हैं :-

?18. कि रिट याचिका के पैराग्राफ संख्या 7 एवं 8 की विषयवस्तु, जैसा कि वर्णित है, स्वीकार नहीं की जाती है, अतः उसका खंडन किया जाता है। इसके प्रत्युत्तर में यह निवेदित किया जाता है कि अधिनियम के अनुसार समस्त कार्यवाहियां पूर्ण किए जाने के पश्चात राज्य के नाम प्रविष्टि हेतु सक्षम प्राधिकारी के कार्यालय द्वारा "परवाना अमलदरामद" जारी किया गया था, किन्तु उसका समय पर अनुपालन नहीं किया जा सका। तत्पश्चात पत्र संख्या 111 दिनांक 20.09.2021 के माध्यम से तहसीलदार, सदर, वाराणसी को यह निर्देशित किया गया कि राजस्व अभिलेखों में राज्य का नाम मूल भूमिधर लालजी के नाम के स्थान पर दर्ज किया जाए, न कि याचिकाकर्ताओं के नाम के स्थान पर, क्योंकि विवादित भूमि राज्य गजट में दिनांक 31.12.1985 को प्रकाशन

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

Translated version. not for legal use

के पश्चात अधिनियम की धारा 10(3) के अंतर्गत प्रकाशन की तिथि से ही समस्त भारमुक्त होकर पूर्णतः राज्य सरकार में निहित हो चुकी थी, जो विधिसम्मत, न्यायसंगत एवं उचित है।

27. प्रतिवादी संख्या 4-प्राधिकरण ने रिट याचिका के पैराग्राफ संख्या 8 में किए गए अभिकथनों के गुण-दोष पर कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया है तथा अपने प्रति शपथपत्र के पैराग्राफ संख्या 10 में केवल निम्नवत कथन किया गया है :-

?10. कि रिट याचिका के पैराग्राफ संख्या 8 की विषयवस्तु के प्रत्युत्तर में सविनय निवेदन है कि विवादित भूमि राजस्व अभिलेखों में राज्य सरकार के नाम दर्ज है।

28. अतः, प्रतिवादियों द्वारा इस संबंध में कोई समुचित एवं विश्वसनीय स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया गया है कि निरसन अधिनियम, 1999 के प्रवर्तन के पश्चात राजस्व अभिलेखों में प्रविष्टियों के संशोधन में 22 वर्षों से अधिक का समय क्यों लगा। इसके अतिरिक्त, इस तथ्य के संबंध में भी कोई विवाद नहीं है कि इस बीच विवादित भूमि राजस्व अभिलेखों में, खसरा एवं खतौनी दोनों में, मूल भूमिधर/याचिकाकर्ताओं/अंतरणग्राहियों के नाम पर ही दर्ज रही।

29. इन परिस्थितियों में, प्रतिवादियों द्वारा इतने लंबे अंतराल के पश्चात वर्तमान रिट याचिका में आक्षेपित आदेश दिनांक 22.09.2021 को न्यायोचित ठहराया जाना संभव नहीं हो सका है। प्रतिवादियों द्वारा यह भी प्रदर्शित नहीं किया गया है कि विवादित भूमि का वास्तविक (de facto) कब्जा राज्य द्वारा ग्रहण किया गया था तथा अभिलेखित भूमिधरों को संदेय धनराशि/प्रतिपूर्ति का भुगतान किया गया था।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

30. विवादित विषय के संबंध में विधि पर विचार करने से पूर्व, प्रासंगिक प्रावधानों, अर्थात् निरसन अधिनियम, 1999 की धारा 3 एवं 4 पर विचार किया जाना आवश्यक है, जो निम्नवत हैं :-

?3. **संरक्षण (Savings)** (1) मूल अधिनियम के निरसन का प्रभाव निम्नलिखित पर नहीं पड़ेगा-

(a) धारा 10 की उपधारा (3) के अंतर्गत किसी रिक्त भूमि का निहित होना, जिसका कब्जा राज्य सरकार या इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा विधिवत अधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा अथवा सक्षम प्राधिकारी द्वारा ग्रहण कर लिया गया हो;

(b) धारा 20 की उपधारा (1) के अंतर्गत दी गई किसी छूट के आदेश की वैधता अथवा उसके अंतर्गत की गई किसी कार्यवाही की वैधता, किसी न्यायालय के विपरीत किसी भी निर्णय के होते हुए भी;

(c) धारा 20 की उपधारा (1) के अंतर्गत छूट प्रदान किए जाने की शर्त के रूप में राज्य सरकार को किया गया कोई भुगतान।

(2) **जहाँ-**

(a) किसी भूमि को मूल अधिनियम की धारा 10 की उपधारा (3) के अधीन राज्य सरकार में निहित माना गया हो, किन्तु जिसका कब्जा राज्य सरकार अथवा इस निमित्त राज्य सरकार द्वारा विधिवत अधिकृत किसी व्यक्ति या सक्षम प्राधिकारी द्वारा ग्रहण नहीं किया गया हो; तथा (b) ऐसी भूमि के संबंध में राज्य सरकार द्वारा कोई धनराशि अदा की गई हो, तो ऐसी भूमि पुनर्स्थापित नहीं की जाएगी, जब तक कि अदा की गई धनराशि, यदि कोई हो, राज्य सरकार को वापस न कर दी जाए।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

Translated version. not for legal use

4. **विधिक कार्यवाहियों का उपशमन**- मूल अधिनियम के अधीन पारित अथवा पारित किया जाना तात्पर्यित किसी आदेश से संबंधित समस्त कार्यवाहियां, जो इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के ठीक पूर्व किसी न्यायालय, अधिकरण अथवा किसी प्राधिकारी के समक्ष लंबित थीं, उपशमित हो जाएंगी; परन्तु यह कि यह धारा मूल अधिनियम की धाराओं 11, 12, 13 एवं 14 से संबंधित उन कार्यवाहियों पर लागू नहीं होगी, जहाँ ऐसी कार्यवाहियां उस भूमि से संबंधित हों, जिसका कब्जा राज्य सरकार अथवा इस निमित्त राज्य सरकार द्वारा विधिवत अधिकृत किसी व्यक्ति या सक्षम प्राधिकारी द्वारा ग्रहण कर लिया गया हो?

31. निरसन अधिनियम, 1999 की धारा 3 के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि यदि निरसन अधिनियम, 1999 के प्रवर्तन से पूर्व राज्य सरकार की ओर से रिक्त भूमि का कब्जा ग्रहण कर लिया गया था, तो अधिनियम, 1976 के निरसन का अधिनियम, 1976 की धारा 10(3) के अधीन ऐसी भूमि के निहित होने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। फलस्वरूप, अधिनियम, 1976 के अधीन अधिशेष घोषित भूमि का वास्तविक कब्जा ग्रहण किया गया था अथवा नहीं, यह प्रश्न निरसन अधिनियम, 1999 के प्रवर्तन के पश्चात अत्यधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। इसका कारण यह है कि यदि कब्जा ग्रहण नहीं किया गया था, तो निरसन अधिनियम, 1999 की धारा 4 के अधीन कार्यवाहियां उपशमित हो जाएंगी तथा भूमि का स्वामित्व, यद्यपि पूर्व में अधिनियम, 1976 की धारा 10(3) के अधीन राज्य सरकार में निहित हो चुका था, ऐसी भूमि के संबंध में राज्य सरकार द्वारा अदा की गई किसी धनराशि, यदि कोई हो, की वापसी की शर्त के अधीन, मूल भू-स्वामी को पुनः बहाल किया जाना अपेक्षित होगा।

32. याचिकाकर्ताओं ने अपने प्रकरण के समर्थन में इस न्यायालय द्वारा रिट-सी संख्या 14094 वर्ष 2016 (रामजी एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य) में दिनांक

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

Translated version not for legal use

02.04.2025 को पारित निर्णय, रिट-सी संख्या 4874 वर्ष 2023 (आत्मा प्रसाद शुक्ला बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य) में दिनांक 02.05.2023 को पारित निर्णय तथा रिट-सी संख्या 4689 वर्ष 2023 (राम प्रसिध तिवारी एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य) में दिनांक 09.05.2023 को पारित निर्णय में प्रतिपादित विधि पर भरोसा किया है। वर्तमान प्रकरण के तथ्य, उपर्युक्त विस्तृत रिट-सी संख्या 4874 वर्ष 2023 तथा रिट-सी संख्या 4689 वर्ष 2023 के तथ्यों से अत्यंत समान हैं।

33. इस संबंध में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश राज्य बनाम हरि राम, 2013 (4) एस.सी.सी. 280 के वाद में, निरसन अधिनियम, 1999 के प्रभाव पर विचार करते हुए निम्नवत् अभिकथित किया है :-

?41. अब हम अधिनियम की धारा 10 की उपधारा (3) पर निरसन अधिनियम 15 वर्ष 1999 की धारा 3 के प्रभाव का परीक्षण करते हैं। निरसन अधिनियम, 1999 द्वारा अधिनियम संख्या 33 वर्ष 1976 को स्पष्ट रूप से निरस्त कर दिया गया है। निरसन अधिनियम के उद्देश्य एवं कारणों का उल्लेख इस निर्णय के पूर्व भाग में पहले ही किया जा चुका है। तथापि, निरसन अधिनियम में एक संरक्षण उपबंध बनाए रखा गया है। यह प्रश्न कि किसी विधि के निरस्त होने से पूर्व उसके अंतर्गत कोई अधिकार अर्जित हुआ है अथवा कोई दायित्व उपगत हुआ है, प्रत्येक प्रकरण में संबंधित विधि की व्याख्या तथा उस विशेष प्रकरण के तथ्यों पर निर्भर करेगा।

42. धारा 10 की उपधारा (3) के अंतर्गत भूमि का मात्र निहित होना, राज्य सरकार को रिक्त भूमि का वास्तविक कब्जा प्राप्त करने का कोई अधिकार प्रदान नहीं करेगा, जब तक कि दिनांक 18-03-1999 से पूर्व रिक्त भूमि का स्वैच्छिक समर्पण न किया गया हो। राज्य को यह स्थापित करना होगा कि या तो रिक्त भूमि का स्वैच्छिक समर्पण किया गया था

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

अथवा धारा 10 की उपधारा (5) के अंतर्गत समर्पण एवं शांतिपूर्ण कब्जे का परिदान किया गया था, या धारा 10 की उपधारा (6) के अंतर्गत बलपूर्वक बेदखली की गई थी। उक्त परिस्थितियों में से किसी को भी स्थापित करने में विफल रहने पर, भूमिधर अथवा धारक निरसन अधिनियम की धारा 4 का लाभ प्राप्त करने का दावा कर सकता है। राज्य सरकार इस अपील में उक्त परिस्थितियों में से किसी को भी स्थापित नहीं कर सकी और इसलिए उच्च न्यायालय का यह अभिमत सही है कि प्रतिवादी निरसन अधिनियम की धारा 4 का लाभ प्राप्त करने का अधिकारी है।

34. अतः, उपर्युक्त के दृष्टिगत यह स्पष्ट है कि जहाँ विचाराधीन भूमि का कब्जा राज्य सरकार अथवा इस प्रयोजन हेतु राज्य सरकार द्वारा विधिवत अधिकृत किसी व्यक्ति अथवा सक्षम प्राधिकारी द्वारा ग्रहण नहीं किया गया है, वहाँ अधिनियम के अंतर्गत कार्यवाही अस्तित्व में नहीं रहेगी तथा मात्र विधि के प्रवर्तन से रिक्त भूमि का राज्य सरकार में निहित हो जाना, वास्तविक कब्जे के अभाव में, पर्याप्त नहीं है। आगे, यह दायित्व राज्य पर है कि वह यह स्थापित करे कि निरसन अधिनियम, 1999 के लागू होने से पूर्व अधिशेष रिक्त भूमि का वास्तविक भौतिक कब्जा ग्रहण कर लिया गया था।

35. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में ए.पी. इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट कॉर्पोरेशन बनाम तहसीलदार एवं अन्य, 2025 एस.सी.सी. ऑनलाइन एस.सी. 447 के वाद में, अधिनियम, 1976 की धारा 10(5) एवं धारा 10(6) को क्रमशः निरसन अधिनियम, 1999 की धारा 3 के साथ पठित करते हुए कब्जे के प्रश्न को नियंत्रित करने वाले कुछ विधिक सिद्धांत प्रतिपादित किए हैं, जो निम्नवत् हैं :-

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

?41. अधिनियम, 1976 की धारा 10(5) एवं धारा 10(6) को क्रमशः निरसन अधिनियम, 1999 की धारा 3 के साथ पठित करते हुए कब्जे के प्रश्न को नियंत्रित करने वाले विधिक सिद्धांतों को निम्नवत् संक्षेपित किया जा सकता है :–

[1] निरसन अधिनियम, 1999 स्पष्ट रूप से उस कब्जे के संबंध में प्रावधान करता है, जो परिस्थिति अनुसार अधिनियम, 1976 की धारा 10(5) अथवा धारा 10(6) के अंतर्गत ग्रहण किया गया हो।

[2] सक्षम प्राधिकारी अथवा राज्य पर यह वैधानिक दायित्व है कि वह विधि द्वारा अनुमत प्रक्रिया के अनुसार ही कठोरतापूर्वक कब्जा ग्रहण करे।

[3] यदि यह दावा किया जाता है कि कब्जा अधिनियम, 1976 की धारा 10(6) के अंतर्गत ग्रहण किया गया है, तब भी न्यायालय इस बात का परीक्षण करने हेतु बाध्य है कि ऐसा "कब्जा ग्रहण किया जाना" विधि की दृष्टि में वैध है अथवा किसी विधिक आधार पर अवैध ठहराया जाता है।

[4] निरसन अधिनियम, 1999 की धारा 3 के अंतर्गत परिकल्पित कब्जा मात्र विधिक (de jure) न होकर वास्तविक (de facto) कब्जा है।

[5] अधिनियम के अंतर्गत "अधिशेष घोषित भूमि" का मात्र निहित होना, वास्तविक (de facto) कब्जा पुनः ग्रहण किए बिना, किसी परिणाम का नहीं है तथा भूमिधर निरसन अधिनियम, 1999 का लाभ प्राप्त करने का अधिकारी है।

[6] धारा 10 की उपधाराओं (5) एवं (6) के अंतर्गत पृथक-पृथक रूप से नोटिस दिया जाना अनिवार्य है। यद्यपि उनमें "may" शब्द का प्रयोग किया गया है, तथापि दोनों उपधाराओं में

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

Translated version. not for legal use

प्रयुक्त "may" शब्द को "shall" के रूप में समझा जाना चाहिए, क्योंकि न्यायालय इस बात का निर्णय करने हेतु बाध्य है कि उक्त आवश्यकता का अनुपालन न किए जाने पर विधायिका किन परिणामों को लागू करना चाहती थी।

[7] धारा 10 की उपधारा (3) के अंतर्गत भूमि का मात्र निहित होना, राज्य सरकार को रिक्त भूमि का वास्तविक (de facto) कब्जा प्राप्त करने का कोई अधिकार प्रदान नहीं करेगा, जब तक कि दिनांक 18 मार्च, 1999 से पूर्व रिक्त भूमि का स्वैच्छिक समर्पण न किया गया हो।

[8] राज्य को अभिलेख पर ठोस साक्ष्य द्वारा यह स्थापित करना होगा कि या तो रिक्त भूमि का स्वैच्छिक समर्पण किया गया था अथवा धारा 10 की उपधारा (5) के अंतर्गत समर्पण एवं शांतिपूर्ण कब्जे का परिदान किया गया था, या धारा 10 की उपधारा (6) के अंतर्गत बलपूर्वक बेदखली की गई थी।

36. उपर्युक्त विधिक सिद्धांतों में अन्य बातों के साथ स्पष्ट रूप से यह प्रतिपादित किया गया है कि अधिनियम, 1976 के अंतर्गत अधिशेष घोषित भूमि का मात्र निहित होना, वास्तविक (de facto) कब्जा पुनः ग्रहण किए बिना, किसी परिणाम का नहीं है तथा धारा 10(5) एवं धारा 10(6) के अंतर्गत नोटिस दिया जाना अनिवार्य है। राज्य पर यह दायित्व है कि वह अभिलेख पर ठोस साक्ष्य द्वारा यह स्थापित करे कि या तो रिक्त भूमि का स्वैच्छिक समर्पण किया गया था अथवा धारा 10 की उपधारा (5) के अंतर्गत समर्पण एवं शांतिपूर्ण कब्जे का परिदान किया गया था, या धारा 10 की उपधारा (6) के अंतर्गत बलपूर्वक बेदखली की गई थी।

37. जहाँ तक वर्तमान विवाद का संबंध है, प्रतिवादीगण पूर्णतः यह प्रदर्शित करने में विफल रहे हैं कि विचाराधीन भूमि का कब्जा याचिकाकर्ताओं के पूर्वज श्री लालजी से प्रतिवादीगण

Translated version. not for legal use

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

द्वारा किस प्रकार एवं कब ग्रहण किया गया। प्रतिवादीगण अपने-अपने प्रति शपथपत्रों में ऐसे कब्जे की तिथि तक का स्पष्ट उल्लेख करने में भी विफल रहे हैं। इसके अतिरिक्त, दोनों पक्षों के अभिकथनों में अधिनियम, 1976 की धारा 10(6) के अंतर्गत किसी नोटिस का किंचित भी उल्लेख नहीं है।

38. साथ ही, राजस्व अभिलेखों में, अर्थात् खतौनियों एवं खसरों दोनों में, मूल भूमिधर/याचिकाकर्ताओं/हस्तांतरणग्राहियों के नाम दर्ज प्रविष्टियाँ, निरसन अधिनियम, 1999 के लागू होने के काफी समय पश्चात तक भी, स्पष्ट रूप से यह इंगित करती हैं कि याचिकाकर्ता, उनके पूर्वज तथा हस्तांतरणग्राही विचाराधीन भूमि पर निरंतर कब्जे में बने रहे।

39. इस संबंध में, इस न्यायालय की समन्वय पीठ ने रिट-सी संख्या 14904 वर्ष 2016 में दिनांक 20.04.2025 के निर्णय एवं आदेश द्वारा, जिस पर याचिकाकर्ता द्वारा भी भरोसा किया गया है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ए.पी. इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट कॉर्पोरेशन (उपर्युक्त) के वाद में प्रतिपादित विधि पर विचार करने के उपरांत, अनुच्छेद संख्या 21 में निम्नवत् अभिकथित किया है :-

> ?21. वर्तमान प्रकरण में, यद्यपि राज्य यह स्पष्ट रूप से इंगित करने में सक्षम नहीं रहा है कि राज्य द्वारा कब्जा वास्तव में कब ग्रहण किया गया, तथापि तथ्यों से यह स्पष्ट है कि दिनांक 11 दिसम्बर, 1996 के एक शासकीय आदेश द्वारा राज्य ने, कथित रूप से भूमि का कब्जा ग्रहण करने के उपरांत, उक्त भूमि को प्रयागराज विकास प्राधिकरण को हस्तांतरित कर दिया था। तथापि, प्रति शपथपत्र में राज्य यह दर्शाने में सक्षम नहीं रहा है कि भूमिधर को बलपूर्वक बेदखली हेतु सीलिंग अधिनियम की धारा 10(6) के अंतर्गत कोई नोटिस निर्गत किया गया था अथवा ऐसी भूमि के संबंध में राज्य सरकार द्वारा कोई प्रतिकर राशि अदा की गई थी। उपर्युक्त तथ्य

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

Translated version. not for legal use

याचिकाकर्ताओं के पक्ष में संतुलन स्थापित करते हैं तथा यह निष्कर्ष निकालना पड़ता है कि यद्यपि याचिकाकर्ताओं की ओर से विलंब रहा है, तथापि राज्य अंततः कभी भी वास्तविक (de facto) कब्जा प्रदर्शित करने में सक्षम नहीं हो सका।

40. वर्तमान प्रकरण में भी, प्रतिवादीगण पूर्णतः यह प्रदर्शित करने में विफल रहे हैं कि अधिनियम, 1976 की धारा 10(6) के अंतर्गत कभी भी भूमिधर को कोई नोटिस निर्गत किया गया था अथवा विचाराधीन भूमि से भूमिधर की बेदखली राज्य द्वारा की गई थी, या विचाराधीन भूमि के संबंध में राज्य सरकार द्वारा भूमिधर को किसी प्रकार की प्रतिकर राशि (सांत्वना धनराशि) का भुगतान किया गया था। अतः, इसमें कोई संदेह नहीं है कि याचिकाकर्ता, उनके पूर्वज तथा हस्तांतरणग्राही विचाराधीन भूमि पर निरंतर कब्जे में बने रहे।

41. इन परिस्थितियों में, इसमें कोई संदेह नहीं है कि नगरीय सीलिंग अधिनियम, 1976 के अंतर्गत सीलिंग वाद संख्या 792/1105/80-81 (राज्य बनाम लालजी) में प्रारंभ की गई कार्यवाही, निरसन अधिनियम, 1999 के लागू होने के साथ ही समाप्त हो गई।

42. अतः, वर्तमान रिट याचिका अनुमन्य की जाती है तथा सक्षम प्राधिकारी-प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा पारित आदेश दिनांक 20.09.2021, जो रिट याचिका के संलग्नक संख्या 1 में संलग्न है, एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है। संबंधित राजस्व प्राधिकारियों को यह भी निर्देशित किया जाता है कि वे इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत किए जाने की तिथि से एक माह की अवधि के भीतर तदनुसार राजस्व अभिलेखों में आवश्यक संशोधन अंकित करें।

43. व्यय के संबंध में कोई आदेश नहीं।

(न्यायमूर्ति सुधांशु चौहान) (न्यायमूर्ति सरल श्रीवास्तव)

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

Translated version, not for legal use

20 जनवरी, 2026

गौरव

Translated version. not for legal use

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।